तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/1785/2006/झुंझुनू** **इंतजाम अली व अन्य बनाम इशाक व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री सी0पी0 शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—10.02.2026

1— यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—12—2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, रिकार्ड के विपरीत जाकर त्रुटिपूर्ण रूप से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में जो अनुतोष चाहा है वह दिये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वादी प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद संख्या 3/97 उनवान इशाक बनाम इन्तजाम जो जिला न्यायाधीश झुंझुनू के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बाद में अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या 3 की अदालत में मुंतकिल किया गया जहां इसका मुकदमा नम्बर 33/2003 दर्ज हुआ जो दिनांक 22/12/2003 को निरस्त कर दिया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः प्रस्तुत वाद की विषय वस्तु व पक्षकार समान होने से वाद निरस्त किये जाने योग्य होने के उपरांत भी निगराधीन आदेश पारित किया गया है। वादी द्वारा पूर्व प्रस्तुत वाद संख्या 3/97 नया नम्बर 33/2003 में पारित निर्णय दिनांक 22/12/2003 में यह बिन्दु भी निर्णित किया जा चुका है कि मुस्लिम विधि के अनुसार वादी इशाक के पिता के अकबर के जीवित रहते उसकी खातेदारी की कृषिभूमि में कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद रेस्ज्येडिकेटा के कारण वाद खारिज किया जाना चाहिए था। विधिक बिन्दु कायम कर पहले निर्णित किया जाना चहिये था, क्योंकि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र में उक्त कथनों का समावेश कर दिया था लेकिन तनकी नहीं बनाने से प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी बाबत् रेस्ज्यूडिकेटा होने से वाद को निरस्त किये जाने के स्थान पर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया जबकि स्वयं ने स्वीकार किया है कि रेस्ज्यूडिकेटा तथ्यों व कानून का मिश्रित प्रश्न है लेकिन रिकार्ड पर प्रस्तुत पूर्व निर्णय पर प्रस्तुत पूर्व निर्णय दिनांक 22—12—2003 में निर्णित बिन्दुओं को पढे बिना ही निगरानीधीन आदेश पारित किया है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—12—2005 निरस्त फरमाया जावे।

4— हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अनिगराकार ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष एक वाद बाबत् हक घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/1785/2006/झुंझुनू** **इंतजाम अली व अन्य बनाम इशाक व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तत्पश्चात् प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 03 तनकीयात कायम की। तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् प्रतिवादी क्रम 01 व 06 लगायत 11/निगराकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि ''न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गयी हैं उनका निस्तारण न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक नम्बर 03 झुन्झुनू द्वारा दावा संख्या 33/03 में दिनांक 22–12–2003 को किया जा चुका है। उपर्युक्त स्थिति में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः दावा रेस्ज्यूडिकेटा के कारण खारिज किये जाने योग्य है।'' परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू ने अपने आदेश दिनांक 22–12–2005 के द्वारा निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2005 से व्यथित होकर निगराकारगण ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण में निगराकारगण का मुख्य कथन रहा है कि प्रस्तुत वाद रेस्ज्यूडिकेटा से बाधित है। परीक्षण न्यायालय ने उपर्युक्त तथ्यों को प्रकरण के अंतिम निस्तारण के समय तय किया जाना बताते हुए निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी को खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि निगराकारगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी में जो आधार लिये हैं उनका निस्तारण प्रस्तुत वाद के गुणावगुण के आधार पर अर्थात उभयपक्षकारान की साक्ष्य आदि लिये जाने के उपरांत ही हो सकेगा। उपर्युक्त स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2005 विधिसम्मत प्रतीत होता है एवं निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

5– परिणामतः प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–12–2005 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य